प्रेषक,

हरे कृष्ण शर्मा,
वरिष्ठ नियोजक;
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
7-बन्दरियाबाग, लखनऊ ।

संख्या ९७ /कैम्प/देहरादून/म0दे0वि0प्रा0/बैठक/87 दिनांक 29 मार्च 987.

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

विषय:- दिनांक 30.3.87 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की आवश्यक बैठक के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उक्त विषयक अपने अ0शा0 पत्रांक शून्य/बैठक-69/86-87 दिनांक शून्य का अवलोकन करें । उक्त बैठक की विषय सूची देखने से यह स्पष्ट है कि "पुनर्वाद *संख्या आर0बी0आे0 32/85-86 पर अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.86 के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के अनुमोदन" के अतिरिक्त कोई अन्य विषय इतना आवश्यक प्रतीत नहीं हो रहा है जिसके लिए इतने कम समय के नोटिस पर प्राधिकरण की आवश्यक बैठक बुलाई जानी उचित हो । इस सम्बन्ध में कल शाम आपकी मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से भी विस्तृत वार्ता हो चुकी है और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने अप्रैल के मध्य में प्राधिकरण की आगामी बैठक बुलाने का अनुरोध किया है जिससे विचार-गोष्ठी में जन प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त विचारों के सम्बन्ध में प्राधिकरण के कार्य कलापों की विस्तृत समीक्षा की जा सके ।

अतः मैं अनुरोध करूंगा कि प्रेषित विषय सूची के क्रम संख्या ॥5॥ पर उल्लिखित पुनर्वाद सम्बन्धी विषय जिसके अनुमोदन किये जाने

पर मैं सहमत हूं के अतिरिक्त सभी अन्य विषय स्थगित रखे जाय तथा अप्रैल के मध्य में प्राधिकरण की बैठक आहूत की जाय जिसमें भाग लेने के लिए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने स्वयं इच्छा व्यक्त की है ।

भवदीय,

(हरे कृष्ण शर्मा)
वरिष्ठ नियोजक
२८.३.८८.

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 30.3.87 को प्राधिकरण कार्यालय में हुई [illegible] बैठक की कार्यवाही :-

=========================0000===========================

उपस्थिति
=======

1. श्री एस0एस0 पांगती, आयुक्त गढ़वाल मंडल............अध्यक्ष
2. श्री प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष — सदस्य
3. श्री हीरा सिंह विष्ट, नगर विधायक — सदस्य
4. श्री पी0के0पान्डे, अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम — प्रतिनिधि सदस्य
5. श्री एन0बी0 सिंह, जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केन्द्र — सदस्य
6. श्री डब्ल्यू रहमान, प्रतिनिधि प्रमुख अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग — प्रतिनिधि सदस्य

===========================0000==============================

7. श्री द्वारिका नाथ धवन भूतपूर्व विधायक- विशेष आमंत्रित
8. श्री विजेन्द्र प्रसाद उप वन संरक्षक देहरादून ।
9. श्री यू0डी0 चौबे, सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।
10. श्री के0एल0 साह, सहायक निदेशक, पर्यटन मसूरी।
11. श्री आर0पी0 सिंह, संयुक्त सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

==========================00000==========================

सर्वप्रथम आज की बैठक में शासन द्वारा नामांकित प्राधिकरण के नये सदस्य श्री हीरा सिंह विष्ट नगर विधायक का स्वागत किया गया। विचार विमर्श प्रारम्भ करने से पूर्व उपाध्यक्ष ने वरिष्ठ नगर नियोजक का दिनांक 29.3.87 का पत्र अध्यक्ष के समक्ष रखा। यह पत्र बैठक में रखा गया और वरिष्ठ नगर व ग्राम नियोजक की भावना का आदर करते हुए यह निर्णय हुआ कि जिस विषय को आवश्यक नहीं समझा जायेगा उस पर विचार स्थगित कर दिया जायेगा। तदनुसार विषय क्रमांक 4,6,8 व 9 पर विचार स्थगित किया गया।

विषय क्रमांक :- 1:-

गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि :-
========================

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 16.2.87 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि चूँकि इस बैठक की अनुपालन आख्या में कई बिन्दुओं पर अभी अनुपालन अपेक्षित है, अत: पूर्ण आख्या अगली बैठक में पुन: प्रस्तुत की जाय।

विषय क्रमांक :- 2:-

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 30.3.87 तक की कार्य प्रगति :-
==

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 30.3.87 तक की कार्य प्रगति की समीक्षा की गयी। यह निर्देश दिए गये कि भवन मानचित्रों के निस्तारण के प्रगति सम्बन्धी विवरण में यह भी लिखा जाय कि एक माह से पुरानी पत्रावलियों की संख्या कितनी है व साथ ही पत्रावलियों का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करने हेतु भी निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि शमन शुल्क तथा अन्य स्रोत्रों से हुई आय का मासिक विवरण भी प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए।

विषय क्रमांक :- 3 :-

नगर महायोजना में सड़कों की प्रस्तावित चौड़ाई :-
=====================================

प्राधिकरण के समक्ष ~~अधीक्षण~~ अधीक्षण अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई विभाग तथा उपाध्यक्ष मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किये गये स्थल निरीक्षण की आख्या व संस्तुति प्रस्तुत की गयी। यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि जनरल महादेव सिंह रोड की चौड़ाई नहर के दोनों तरफ विकसित की जाय जिससे कि आने और जाने वाले वाहनों को अलग-अलग सड़क उपलब्ध होगी। चूँकि इस कार्य में बहुत समय लगने की सम्भावना है अत: यह भी निर्णय हुआ कि जनरल महादेव सिंह रोड़ की वर्तमान में सिंगल लेन पक्की सड़क को डबल लेन पक्की सड़क बनाने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आगणन तैयार करा लिया जाय तथा शासन से विकास प्राधिकरण के माध्यम से धन की माँग की जाय । नहर में कुछ स्थलों पर स्लैब भी डाले जायें।

विषय क्रमांक :- 4 :-

<u>मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय भवनों के निर्माण की अनुमति</u> ।

इस बिन्दु को ~~अग्रमी~~ अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया।

विषय क्रमांक :- 5 :-

पुनर्वाद सं0 आर0बी0ओ0 32/85-86 पर अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.86 के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र ।

प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अध्यक्ष के दिनांक 23.12.86 के निर्णय के विरूद्ध जो पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र शासन में दायर किया गया है उसे जन हित में अनुमोदित किया गया और इस आशय की कार्योत्तर पुष्टि की गयी कि प्राधिकरण की ओर से संयुक्त सचिव/सचिव/उपाध्यक्ष द्वारा शासन के समक्ष पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। इस बिन्दु पर वरिष्ठ नगर नियोजक श्री एच0के0 शर्मा ने भी लिखित रूप से अपनी सहमति प्रकट की है। यह भी निर्देश दिये गये कि इस मामले की पत्रावली शासन को भेज दी जाय व प्रकरण का अनुसरण किया जाय ताकि प्रकरण शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित हो सके।

.....4...

विषय क्रमांक :- 6 :-
ग्राम कांवली में शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय हेतु भू उपयोग आवासीय में परिवर्तन करने तथा सहस्त्रधारा मार्ग पर भूमि अर्जित करने के सम्बन्ध में ।

==

बैठक में उपस्थित सदस्य श्री हीरा सिंह विष्ट ने बताया कि सहस्त्रधारा के मामले पर भारत सरकार की टीम के कुछ सुझाव थे उनकी भी जानकारी कर ली जाय। अत: सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि इस बिन्दु को अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया जाय ।

विषय क्रमांक :- 7 :-
ग्राम हाथीबड़कलां में आवासीय योजना हेतु भूमि अर्जित करने के लिए अनुमोदन ।

==

प्राधिकरण को सूचना दी गयी कि कालीदास मार्ग पर लगभग 13 एकड़ क्षेत्र खुला पड़ा हुआ है और नगर महायोजना में इसका भू उपयोग आवासीय है। अत: यह निर्णय हुआ कि भूमि को अर्जित करके यहां पर आवासीय योजना तैयार की जाय ।

भूमि अर्जित करने हेतु प्राधिकरण द्वारा उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि इन प्लौट्स में भवन मानचित्र स्वीकृत न किये जायं ।

विषय क्रमांक :- 8 :-
पशु शव उपयोग केन्द्र हेतु भूमि का आवंटन करने के लिए उपाध्यक्ष को अधिकृत किया जाना ।

==

यह बिन्दु अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया ।

विषय क्रमांक :- 9 :-
ग्राम छलवा परगना परवादून में रेजीडेंसियल स्कूल की स्थापना हेतु प्रार्थना पत्र पर विचार ।

==

यह बिन्दु अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया ।

विषय क्रमांक :- 10 :-

विभिन्न क्षेत्रों में विकास शुल्क का अनुमोदन :-

विकास शुल्क के सम्बन्ध में लोगों के असन्तोष को देखते हुए यह विषय प्राधिकरण के समक्ष रखा गया ताकि शीघ्र इस असन्तोष का निराकरण हो सके। विभिन्न क्षेत्रों के विकास शुल्क की सूची का अवलोकन करने के उपरान्त उपरान्त यह प्रकट हुआ कि कुछ विसंगतियां है और यह निर्णय हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास शुल्क रू0 2=50 (ढ़ाई रूपया) प्रति वर्गमीटर कवंड एरिया तथा शहर के आर0बी0यूज जोन में 5=00 (पांच रूपया) प्रति वर्गमीटर कवंड एरिया पर विकास शुल्क लिया जाय। शेष क्षेत्रों के बारे में यह नीति निर्धारित हुई कि जो क्षेत्र विकसित है और जहां पक्की सड़कों, बिजली आदि की सुविधा भी उपलब्ध है वहां विकास शुल्क कम होना चाहिए और जो क्षेत्र पूर्णतः अविकसित है या अर्धविकसित है वहां सड़कों, पार्कों आदि के निर्माण की लागत को ध्यान में रखते हुए अधिक विकास शुल्क लिया जा सकता है। विकसित क्षेत्रों में विकास शुल्क निर्धारित करने का अधिकार उपाध्यक्ष को दिया गया। अविकसित व अर्ध विकसित क्षेत्रों के संबंध में विकास शुल्क के बारे में सुझाव देने के लिए सचिव, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड देहरादून एवम् उनके प्रतिनिधि, श्री महेन्द्र कुमार, अधिशाषी अभियन्ता दून डिवीजन उत्तर प्रदेश, जल निगम, श्री हीरा सिंह विष्ट नगर विधायक तथा श्री द्वारिका नाथ धवन की एक समिति गठित की गई। इस समिति की प्रथम बैठक दिनांक 6.4.87 को सार्वजनिक निर्माण विभाग निरीक्षण गृह घन्टाघर देहरादून में प्रातः 9=00 बजे निश्चित की गयी और वहीं से समिति स्थल निरीक्षण के लिए प्रस्थान करेगी। सर्वसम्मति से यह भी निर्णय हुआ कि समिति की संस्तुति पर विकास शुल्क के निर्धारण हेतु अध्यक्ष महोदय अंतिम आदेश पारित करेगें। विलम्ब को रोकने की दृष्टि से समिति की रिपोर्ट स्वीकृत होने तक अर्ध विकसित/अविकसित क्षेत्रों में रू0 10=00 (दस रूपया) प्रति वर्ग मीटर प्लोट एरिया पर विकास शुल्क लिया जाय। शेष शुल्क समिति की रिपोर्ट स्वीकृत होने के उपरान्त लिया जायेगा।

विषय क्रमांक :- 11 :-

होटल इन्टरनेशनल, 26, इन्दर रोड़, देहरादून।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत व पूर्व स्वीकृत मानचित्र एवम् पत्रावली पर जांच आख्या का बैठक में अवलोकन किया गया तथा यह आदेश दिये गये

गये कि कार पार्किंग एफ०ए०आर० तथा कवरेज के प्रतिशत पर पुन: सचिव से जांच करा ली जाय व तदुपरान्त उपाध्यक्ष की आख्या के साथ अध्यक्ष महोदय द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिये जायं ।

अतिरिक्त विषय :-

मास्टर प्लान के संबंध में 28.3.87 को हुई विचार गोष्ठी में हुए वाद विवाद के परिपेक्ष्य में सर्व सम्मति से यह निर्णय हुआ कि महायोजना में निर्धारित भू उपयोग के संशोधन के बारे में एक इन्क्वायरी सर्वेक्षण समिति का गठन किया जाय जो विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इस समिति में सचिव विकास प्राधिकरण, श्री हीरा सिंह विष्ट व एक सहायकअभियन्ता होगें। यह समिति अगली बैठक में अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी ।

प्राधिकरण की अगली बैठक दिनांक 25.5.87 को प्रात: 10=30 बजे होगी। अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त की गयी ।

30-3-87	31.3.87	
(यू०डी०चौबे)	(प्रताप सिंह)	(एस०एस० पांगती)
सचिव,	उपाध्यक्ष,	अध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।	मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।	मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

अनुमोदित
19.5.87
अध्यक्ष
19-5-87